- 2. मानकों के साथ अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग.- उक्त सारणी के स्तंभ (1) मे विनिर्दिष्ट माल या वस्तुएं, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में भारतीय मानक का नाम धारण करने वाले स्तंभ (2) में दिए गए संगत भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची –II की स्कीम –I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न धारण करेगे।
- 3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी.- उक्त सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।
- 4. आदेश के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति.- कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

सारणी

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक का नाम
(1)	(2)	(3)
पॉली विनाइल क्लोराइड	आईएस 17658:2021	पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) होमोपॉलिमर के
(पीवीसी) होमोपॉलिमर		लिए विनिर्देश

टिप्पण: सारणी के प्रयोजनों के लिए, इस संबंध में जारी संशोधनों सिहत भारतीय मानक ब्यूरो का नवीनतम संस्करण, जिसे भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।

> [फा. सं. पीसीटी-59011/44/2022-पीसी टेक-सीपीसी] दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2024

Poly Vinyl Chloride (PVC) Homopolymers (Quality Control) Order, 2024

- **S.O. 920(E).** In exercise of the powers conferred by section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely: -
- **1. Short title and commencement.** (1) This order may be called the Poly Vinyl Chloride (PVC) Homopolymers (Quality Control) Order, 2024.
- (2) It shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the Official Gazette.
- (3) It shall apply to goods or articles specified in Column (1) of the Table below and shall not apply to goods or article meant for export.
- 2. Conformity to standard and compulsory use of Standard Mark.- Goods or articles specified in column (1) of the said Table shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (2) bearing the title of the Indian Standard in Column (3) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
- **3.** Certification and enforcement authority.— In respect of goods or article specified in Column (1) of said table, the Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority.

4. Penalty for Contravention of the provisions of Order.- Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the said Act.

TABLE

Goods or Article	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Poly Vinyl Chloride (PVC) Homopolymers	IS 17658:2021	Poly Vinyl Chloride (PVC) Homopolymers – Specification

Note: For the purposes of the Table, the latest version of the Indian Standards including the amendments issued thereof and notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such notification.

[F. No. PCT-59011/44/2022-PC TECH.CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2024

मोल्डिंग और एक्सट्रूज़न के लिए पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) सामग्री (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2024

का.आ. 921(अ).—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, इसके द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:- संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना.-1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मोल्डिंग और एक्सटूज़न के लिए पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) सामग्री (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2024 है।

- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की समाप्ति पर प्रवृत्त होगा।
- (3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुओं पर लागू होगा और निर्यात के लिए निर्मित माल या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा।
- 2. मानकों के साथ अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग.- उक्त सारणी के स्तंभ (1) मे विनिर्दिष्ट माल या वस्तुएं, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में भारतीय मानक का नाम धारण करने वाले स्तंभ (2) में दिए गए संगत भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची –II की स्कीम –I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न धारण करेगे।
- 3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी- उक्त सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।
- 4. आदेश के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।